प्रकरण संख्या 13/2024 [illegible]
[illegible] 251-ए [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या-13/2024
(सी.सी.एम.एस.-2024/000161) निर्णय दिनांक -

अनवान-

01- गुरदीपसिंह पुत्र श्री गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी 51 जी0बी0 तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान।

बनाम- -प्रार्थी-

01- जंगसिंह पुत्र श्री जरनैलसिह जाति जटसिख निवासी 51 जीबी (ढाणी) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ राजस्थान
02- बेअन्तसिंह पुत्र श्री जरनैलसिंह जाति जटसिख निवासी 51 जीबी (ढाणी) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान
03- उत्तमसिंह पुत्र जरनैलसिह जाति जटसिख निवासी 51 जीबी (ढाणी) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़ राजस्थान
04- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर ।

-अप्रार्थीगण-

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति-
01- श्री प्रेम सिंह सैनी, वकील प्रार्थी।
02- पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि:-
यह कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण का स्थाई पता वही है जो कि प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। चक 51 जीबी तहसील श्रीविजयनगर का खाता संख्या 3 में दर्ज मु.न. 52 प.न. 214/452 मु.न. 51 प.न. 215/452 मु.न. 8 प.न. 216/448 मु.न. वत है। 56 प.न. 217/453 का कुल 10.6510 है. में प्रार्थी के नाम से 1/4 हिस्सा भूमि यानि 2.6630 है. भूमि है जमाबन्दी प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है जो कि उपरोक्त भूमि में बाहमी बंटवारा अनुसार प्रार्थी के पास कब्जा काश्त में 51 जीबी तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 8 प.न. 216/448 का कि.न. 3 ता 9, 11 [illegible] है। पैरा रां. 2 में वर्णित प्रार्थी की भूमि 51 जी[illegible] मु.न. 8 [illegible] ता 25 मे सडक आम चालू है जो कि प्रार्थी उक्त सड[illegible] [illegible] लाईन के साथ साथ आकर अपने रकबा मु.न. 8 की कि.न. [illegible] में प्रवेश करता है। उक्त भूमि का रास्ता के रूप में उपयोग में पिछले काफ[illegible] असा पूर्व से प्रार्थी करता [illegible] है रास्ता के रूप में उपयोग हो रही भूमि कि.न. 15, 16, 25 की भूमि अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.21 10:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सं. 1 ता 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के उपरोक्त पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि चक 51 जीबी का मु.न. 8 के अपने कब्जा काश्त के रकबा में आवागमन हेतु इसी मुरब्बा के कि.न. 25, 16, 15 मे से पत्थर लाईन के साथ साथ भूमि का उपयोग रास्ता के रूप में पिछले काफी अर्सा से करता आ रहा है इसी रास्ता से प्रार्थी अपनी भूमि में प्रवेश करता है इसके अलावा प्रार्थी के रकबा मे आने जाने व कृषि औजार लाने ले जाने के लिए अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी उपरोक्तानुसार मु.न. 8 कि.न. 25,16,15 में पत्थर लाईन के साथ साथ 1-1 बिस्वा भूमि को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त रास्ता के रूप में उपयोग में आ रही भूमि को रास्ता आम स्वीकृत करवाने बाबत् अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर निवेदन किया तो पहले तो अप्रार्थीगण आश्वासन देते रहे कि आप आवागमन कर रहे हो हमने कभी आपको बाधित नहीं किया है इसी प्रकार रास्ता चलता रहेगा जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो रास्ता स्वीकृत करवा लेंगे घबराने की कोई बात नहीं है जिस पर विश्वास कर लिया समय व्यतित होता रहा है किन्तु इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं करने पर जब 10 रोज पूर्व दबाव देकर इस बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने रास्ता स्वीकृत करवाने से इन्कार कर दिया व ऐलानिया धमकी दी कि वे भूमि को काश्त कर रास्ता बंद कर देंगे बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है । यदि उपरोक्त रास्ता आम स्वीकृत नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रह जावेगा जिससे प्रार्थी काश्त करने में असमर्थ हो जावेगा व कृषि उपज को मण्डी में लाने ले जाने व कृषि औजारो को लाने ले जाने में असमर्थ होगा जिससे भूमि काश्त के अभाव में बंजर हो जावेगी व काश्त में भारी असुविधा होगी व प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जबकि रास्ता स्वीकृत किया जाने पर अप्रार्थी के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा चूँकि प्रार्थी रास्ता में आने वाली भूमि के बदले निर्धारित प्रतिफल देने के लिए तैयार व तत्पर है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है ।

अत: प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी की पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि चक 51 जीबी तहसील श्रीविजयनगर का मुन. 8 पन. 216/448 का कि.न 25, 16, 15 में पत्थर लाईन के साथ साथ 1-1 बिस्वा भूमि कि.न. 6 की हद तक रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाने के आदेश पारित किये जाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 बाद विधिवत् नोटिस तामिल उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भू-अ0नि0 वृत 12 बी0बी0 ... 50 जी0बी0 की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में पेश किया। भू-अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ते की परम आवश्यकता है। उक्त जोत तक पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, नजरी नक्शा संलग्न है। रास्ते की न्युनतम एवं परम आवश्यकता है, जो कि नजरी नक्शे में दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.21 10:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निकटतम विकल्प व्यावहारिक है। चाहा गया सम्पूर्ण रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 03 की भूमि में से होकर जाता है।

बहस तकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर एंव प्रस्तुत मौका नक्शा का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के अनुसार प्रार्थी को अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं। अतः यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग का अभाव हैं एवं प्रार्थी की रास्ता की मांग सुखाधिकार के लिए न होकर आत्यांतिक आवश्यकता हैं। मुताबिक रिपोर्ट वांछित मार्ग ही निकटतम मार्ग हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

-: क्रियान्वयन आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर चक 51 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के मु.न. 8 प.न. 216/448 के किला 1 ता 12, 13/1 के कुल 3.162 हैक्टर भूमि में प्रवेश करने के लिए मु0न0 8 के कि0न0 20, 21 में कच्चे खाले के साथ साथ 1-1 बिस्वा भूमि कि0न0 11 की हद तक रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ते में आई भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्ध अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 03 को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही स्वीकृत रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक .....17/12/24....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.21 10:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner